अंचल अधिकारी का कार्यालय, एग्यारकुण्ड (धनबाद)।

विविद वाद अभिलेख सं0–.....

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
31/03/24	अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख श्रीमति शिप्रा दे सा0–झरियापाड़ा के द्वारा समर्पित आवेदन–पत्र के आलोक में प्रारम्भ की जाती है। उक्त ओवदन–पत्र के उल्लेख किया गया है कि मौजा– चिरकुण्डा, मौजा नं0–252, खाता सं0–110, खेसरा सं0–275, 276 कुल रकवा–17 डी0 भूमि पर विपक्षी 1. कृष्णा बाउरी, पिता– भरत बाउरी 2. शंकर बाउरी, पिता– भरत बाउरी 3. करण बाउरी पिता–स्व0 कन्हैया बाउरी एवं अन्य के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। अतः उक्त के संबंध में राजस्व उपनिरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन की मांग करें। अभिलेख दिनांक–09/04/24.....को रखें। 31/03 अंचल अधिकारी, एग्यारकुण्ड।	
09/04/4	**अभिलेख उपस्थापित**। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जाँच कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– चिरकुण्डा, मौजा नं0–252, खाता सं0–110, प्लॉट सं0–275, रकवा–13 डी0. एवं प्लॉट सं0–276 रकवा–04 डी0 कुल रकवा– 17 डी0 श्रीमति शिप्रा दे, पति– स्व0 नारायण दें के नाम से कुल किया गया भूमि है। तथा लगान रसीद जमाबंदी सं0–1117 से निर्गत होता है भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि अंचल अमीन से मापी प्रतिवेदन के आधार पर खाता सं0–110, प्लॉट सं0–275, 276 के अंश रकवा–12 डी0 भूमि पर मकान मय सहन एवं बाउन्ड्री अवस्थित है। शेष रकवा–05 डी0 भूमि मकान के उत्तर में परती है जो बाउड्री से बाहर है। द्वितीय पक्ष 1. कृष्णा बाउरी, पिता– भरत बाउरी 2. शंकर बाउरी, पिता– भरत बाउरी 3. करण बाउरी पिता–स्व0 कन्हैया बाउरी के द्वारा प्रथम पक्ष को बुनियादी का कार्य करने नही दिया जाता है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से द्वितीय पक्ष को भूमि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु तीन बार नोटिस किया गया है परन्तु किसी प्रकार का भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष का उक्त भूमि पर दावा दखल नही बनता है। दोनो पक्षो को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक.....28/06/24.....को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, एग्यारकुण्ड।	
28/06/4	**अभिलेख उपस्थापित**। नोटिस का तामिला प्राप्त। प्रथम पक्ष के द्वारा पुनः नए तिथि की मांग की गई है। उक्त के आलोक में पुनः नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक–26/07/24.....को उपस्थापित करें। 28/06/ अंचल अधिकारी, एग्यारकुण्ड।	
26/07/4	**अभिलेख उपस्थापित**। नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक–14.08.24.....को उपस्थापित करें। अंचल अधिकारी, एग्यारकुण्ड।	
14/08/24	**अभिलेख उपस्थापित**। नोटिस का तामिला प्राप्त। द्वितीय पक्ष के द्वारा किसी प्रकार का राजस्व दस्तावेज अपने पक्ष में समर्पित नही किया गया है। दोनो पक्षों को नोटिस के माध्यम से विवादित भूमि से संबंधित कागजात की मांग की गयी है। तीन नोटिस के बावजूद द्वितीय पक्ष श्री कृष्ण बाउरी उर्फ दुलाल बाउरी एवं अन्य के द्वारा भूमि से संबंधित कागजात जमा नही किया गया। राजस्व उपनिरीक्षक द्वारा जाँच कर प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा– चिरकुण्डा, मौजा नं0–252, खाता सं0–110, प्लॉट सं0–275, रकवा–13 डी0. एवं प्लॉट सं0–276 रकवा–04 डी0 कुल रकवा– 17 डी0 श्रीमति शिप्रा दे, पति– स्व0 नारायण दें के नाम से कुल किया गया भूमि है। तथा लगान रसीद जमाबंदी सं0–1117 से निर्गत होता है भूमि रैयती खाते की है। उक्त भूमि अंचल अमीन से मापी प्रतिवेदन के आधार पर खाता सं0–110, प्लॉट सं0–275, 276 के अंश रकवा–12 डी0 भूमि पर मकान मय सहन एवं बाउन्ड्री अवस्थित है। शेष रकवा–05 डी0 भूमि मकान के उत्तर में परती है जो बाउड्री से बाहर है।	

Scanned with CamScanner

द्वितीय पक्ष 1. कृष्णा बाउरी, पिता– भरत बाउरी 2. शंकर बाउरी, पिता– भरत बाउरी 3. करण बाउरी पिता–स्व0 कन्हैया बाउरी के द्वारा प्रथम पक्ष को बुनियादी का कार्य करने नही दिया जाता है। अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से द्वितीय पक्ष को भूमि संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु तीन बार नोटिस किया गया है परन्तु किसी प्रकार का भूमि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि द्वितीय पक्ष का उक्त भूमि पर दावा दखल नही बनता है। अतः अभिलेख की कार्रवाई समाप्त जाती है।

29/5/23

अंचल अधिकारी,
एग्यारकुण्ड।

Digitally signed by AMRITA KUMARI
Date: 2023.05.29 13.36.48 +05:30
Location: 192.168.106.146

Scanned with CamScanner